

समस्त

जोनल एडीशनल कमिशनर/एडीशनल कमिशनर ग्रेड-2(वि०अनु०शा०)

ज्वाइन्ट कमिशनर / डिप्टी कमिशनर (वि०अनु०शा०)/

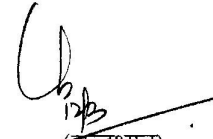
असिस्टेन्ट कमिशनर/वाणिज्य कर अधिकारी (सचल दल/ वि०अनु०शा०)

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश ।

भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त, गृह मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा अपने अ०शा०प०सं०-D-29012222/208 (Ptg) RG दिनांक 09-02-10 से शासन को यह अवगत कराया गया है कि दिनांक 1 अप्रैल-2010 से Census of India 2011 का Phase-1 शुरू होगा । इसके लिए बड़ी मात्रा में Schedules and Instruction Manuals को छपाने की आवश्यकता पड़ेगी । छपी हुई सामग्री जो corrugated boxes में पैकड होगी उसे प्रान्त बाहर से प्रान्त में परिवहन किया जायेगा और उसका प्रयोग जनगणना कार्य में किया जायेगा । पत्र में यह आशंका व्यक्त की गयी है कि प्रदेश के अन्दर आने वाले उक्त माल को बिक्री के उद्देश्य से लाया जाना मानते हुए प्रदेश के वाणिज्य कर अधिकारियों द्वारा रोका जायेगा और वाणिज्य कर भुगतान के लिए कहा जायेगा । उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि अपने प्रदेश के वाणिज्यकर अधिकारियों को यह निर्देश जारी कर दिये जायें कि जनगणना के कार्य हेतु लाई जा रही उपर्युक्त प्रकार की सामग्री लाने वाले वाहनों को न रोका जाय ।

अतः उपर्युक्त के सम्बन्ध में यह निर्देशित किया जाता है कि जनगणना कार्य हेतु सामग्री लेकर आने वाले वाहनों को अनावश्यक रूप से न रोका जाय और यह सुनिश्चित किया जाये कि विभाग की तरफ से उनके परिवहन में अनावश्यक रूप से कोई विलम्ब अथवा व्यवधान उत्पन्न न हो ।

निर्देशों का अनुपालन तत्काल कठोरता से सुनिश्चित किया जाय ।


(चन्द्रभानु)
कमिशनर, वाणिज्य कर,
30प्र०।

पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनांक उक्त ।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त, गृह मंत्रालय नई दिल्ली को उनके अ०शा०प०सं०-110/ एन०एस० /जी० आई० /2010 दिनांक 9-2-10 के सन्दर्भ में इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया जनगणना कार्य हेतु परिवहित किए जाने वाले माल से सम्बन्धित प्रत्येक ट्रकों के साथ एक ऐसा प्रपत्र रक्षित करने की व्यवस्था कराने का कष्ट करें जिससे यह प्रमाणित हो सके कि वाहन में परिवहित सामग्री / माल का प्रयोग जनगणना कार्य के लिए किया जायेगा ।
2. प्रमुख सचिव, संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन विभाग, (अनुभाग-2) 30प्र०शासन, सचिवालय, लखनऊ को उनके अ०शा०प०सं०-भा०स०0015/ग्यारह-2-2010-9(44)/2010 दिनांक 03-03-10 के सन्दर्भ में ।
3. सदस्य सचिव, 30प्र० राज्य कर परिषद, अनुभाग मुख्यालय, लखनऊ ।
4. संयुक्त निदेशक(प्रशिक्षण)वाणिज्य कर अधिकारी, प्रशिक्षण संस्थान, गोमतीनगर, लखनऊ ।
5. समस्त अनुभाग अधिकारी, वाणिज्य कर, मुख्यालय ।
6. चेक पोस्ट अनुभाग को 05 प्रतियाँ अतिरिक्त ।


(चन्द्रभानु)
कमिशनर, वाणिज्य कर,
30प्र०।